

शाखा का नाम \_\_\_\_\_ खाता सं. \_\_\_\_\_  
ग्राहक आईडी \_\_\_\_\_

यदि पैर प्रस्तुत नहीं किया गया तो फॉर्म सं.60 (नियम 114बी का दूसरा प्रावधान देखें)

किसी व्यक्ति (कंपनी या फर्म नहीं) जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जो नियम 114 बी में निर्धारित कोई लेन-देन कर्ता है द्वारा घोषणा हेतु फॉर्म

1	प्रथम नाम																2	जन्म तारीख / घोषणाकर्ता का निर्गम
	मध्य नाम																	
	उपनाम																	
3	पिता का नाम (व्यक्ति के मामले में)	प्रथम नाम																
	मध्य नाम																	
	उपनाम																	
4	फ्लैट / रूम संख्या							5	फ्लोर संख्या									
6	परिसरों का नाम							7	ब्लॉक नाम / संख्या									
8	रोड / स्ट्रीट / लेन							9	क्षेत्र / स्थान									
10	कस्बा / शहर							11	जिला			12	राज्य					
13	पिन कोड							14	टेलिफोन नंबर (एसटीडी कोड के साथ)			15	मोबाइल नंबर					
16	लेनदेन की राशि (रु.)							18	संयुक्त नाम पर लेन देन होने के मामले में लेन देन में शामिल सदस्यों की संख्या									
17	लेनदेन की तारीख																	
19	लेनदेन की प्रणाली: [ ] नकदी [ ] चेक [ ] कार्ड [ ] ड्राफ्ट/ बैंकर चेक [ ] ऑनलाइन अंतरण [ ] अन्य																	
20	यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार संख्या (यदि उपलब्ध है)																	
21	यदि पैर के लिए आवेदन किया है और यदि अभी तक जनरेट नहीं हुआ है तो आवेदन की तारीख और पावती संख्या प्रविष्ट करें																	
22	यदि पैर लागू नहीं है तो उपर्युक्त लेन देन जिस वित्तीय वर्ष में किया गया है उसके लिए कुल अनुमानित आय (आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुरूप पति/पत्नी, नाबालिग आदि की आय सहित) भरें.																	
	क	कृपि आय (रु.)																
	ख	कृपि आय के अलावा (रु.)																
23	कॉलम 1 में निर्धारण के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के विवरण (पीछे के पृष्ठ पर अनुदेशों का संदर्भ लें)	दस्तावेज कोड						दस्तावेज निर्धारण संख्या									दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता	
24	कॉलम 4 से 13 में निर्धारण के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के विवरण (पीछे के पृष्ठ पर अनुदेशों का संदर्भ लें)	दस्तावेज कोड						दस्तावेज निर्धारण संख्या									दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता	

**सत्यापन**

मैं, \_\_\_\_\_ एतद्वारा घोषित करता हूँ उपरोक्त उल्लिखित सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुरूप सत्य है. मैं यह भी घोषित करता हूँ कि मेरे पास स्थायी खाता संख्या (पैर) नहीं है और मेरी/हमारी कुल अनुमानित आय (आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुरूप पति/पत्नी, नाबालिग शिशु आदि की आय सहित) की गणना आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप उस वित्तीय वर्ष के लिए है जिसमें उपरोक्त लेन देन की गई है और यह राशि कर योग्य अधिकतम राशि से कम है.

आज, \_\_\_\_\_ 20\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन सत्यापित.

(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

**नोट:**

1. इस घोषणापत्र को हस्ताक्षरित करने से पहले घोषणाकर्ता को स्वयं को सभी तरीके से प्रस्तुत सूचना के सही, सत्य और पूर्ण होने के संबंध में संतुष्ट कर लेना चाहिए. घोषणा में गलत बयानी करने वाला कोई भी व्यक्ति आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोग के लिए पात्र होगा और दोषी पाए जाने पर दंड का भी अधिकारी होगा.

क. ऐसे मामलों में जहां रु. पच्चीस लाख से अधिक राशि के कर से बचने का प्रयास किया गया है वहां दंड के साथ 6 महीनों से लेकर 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी.

ख. अन्य किसी मामले में दंड के साथ तीन महीने से लेकर दो साल की सख्त जेल की सजा दी जा सकती है.

2. घोषणा स्वीकार करने वाला व्यक्ति 22 बी में संदर्भित मद की प्रकृति की आय न हो ऐसी अधिकतम राशि से अधिक होने पर घोषणा स्वीकार नहीं करेगा, बशर्ते पैर के लिए आवेदन किया गया हो और कॉलम 21 विधिवत रूप से पूर्ण हो.

**अनुदेश :**

- 1) पहचान और पते के समर्थन में उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज (यदि पैन हेतु आवेदन किया है और मद 20 का अनुपालन हो, आवश्यक नहीं)

क्र.संख्या	दस्तावेज का प्रकार	दस्तावेज कोड	पहचान के साक्ष्य	पता का साक्ष्य
क	<b>वैयक्तिकों एवं हिन्दु अविभक्त (एच.यू.एफ.) परिवार</b>			
1	आधार कार्ड	01	हां	हां
2	व्यक्ति की फोटोग्राफ के साथ बैंक/ पोस्ट ऑफिस की पासबुक	02	हां	हां
3	मतदाता का फोटो पहचान कार्ड	03	हां	हां
4	व्यक्ति के फोटोग्राफ के साथ राशन / सार्वजनिक वितरण सिस्टम कार्ड	04	हां	हां
5	ड्राइविंग लाइसेंस	05	हां	हां
6	पासपोर्ट	06	हां	हां
7	पेंशनर फोटो कार्ड	07	हां	हां
8	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन आरई पी एस) जाँच कार्ड	08	हां	हां
9	व्यक्ति के फोटो के साथ जाति या डोमिसाइल प्रमाणपत्र	09	हां	हां
10	फार्म 49 ए में अनुलग्नक ए में निर्धारित किए गए अनुसार सांसद या विधान परिषद का सदस्य या नगरपालिका पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान / पता प्रमाणपत्र	10	हां	हां
11	फॉर्म 49 ए में निर्धारित अनुलग्नक बी के अनुरूप नियोक्ता से प्रमाणपत्र	11	हां	हां
12	फोटों के साथ किसान पासबुक	12	हां	नहीं
13	हथियारों का लाइसेंस	13	हां	नहीं
14	केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना / पूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना कार्ड	14	हां	नहीं
15	सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी फोटो पहचान कार्ड	15	हां	नहीं
16	विजली का बिल (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)	16	नहीं	हां
17	लैंडलाइन टेलीफोन बिल (तीन महीने से ज्यादा पुराना नहीं)	17	नहीं	हां
18	पानी का बिल (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)	18	नहीं	हां
19	उपभोक्ता गैस कार्ड /पुस्तिका या पाइपलाइन गैस बिल (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)	19	नहीं	हां
20	बैंक खाता विवरणी (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)	20	नहीं	हां
21	क्रेडिट कार्ड विवरणी (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)	21	नहीं	हां
22	डिपोजिटरी खाता विवरणी (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)	22	नहीं	हां
23	संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज	23	नहीं	हां
24	सरकार से निवास स्थान का आवंटन पत्र	24	नहीं	हां
25	व्यक्ति के नाम के साथ पति/पत्नी का पासपोर्ट	25	नहीं	हां
26	संपत्ति कर भुगतान रसीद (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं)	26	नहीं	हां
ख	<b>व्यक्तियों के संघ हेतु (ट्रस्ट)</b>			
	ट्रस्ट विलेख या चेरिटी कमिश्नर द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति	27	हां	हां
ग	<b>व्यक्तियों के संघ (ट्रस्ट के अलावा) या वैयक्तिकों का निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति</b>			
	करार की प्रति या चेरिटी कमिश्नर या सहकारी सोसायटी के रजिस्ट्रार या अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या ऐसे किसी व्यक्ति के पहचान और पते को स्थापित करते हुए किसी केंद्र या राज्य सरकार विभाग द्वारा जारी अन्य कोई दस्तावेज	28	हां	हां

- 2) नाबालिग के नाम पर लेन-देन होने के मामले में नाबालिग के माता-पिता / अभिभावक के पहचान और पते के रूप में उपरोक्त उल्लिखित कोई भी दस्तावेज ऐसे नाबालिग घोषणाकर्ता के पहचान और पते के साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे और यह घोषणा माता-पिता / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए.
- 3) हिन्दु अविभक्त परिवार के लिए इसके कर्ता के नाम पर कोई दस्तावेज की अनिवार्य होगा.
- 4) यदि लेन देन एक से अधिक लोगों के नाम पर है तो ऐसे मामले में व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख क्र.सं.18 में किया जाना चाहिए और लेन देन की कुल राशि क्र. सं.16 में भरी जानी चाहिए.
- कॉलम 22 वी में कुल अनुमानित आय के कर योग्य न होने पर अधिकतम राशि से अधिक होने के मामले में व्यक्ति को पैन के लिए आवेदन करना चाहिए, मद 21 भरना चाहिए और आवेदन प्रस्तुत करते समय साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराना चाहिए.

**Name of Branch****Account No.****Customer-Id****If PAN is not submitted "FORM NO.60 [See second proviso to rule 114B]**

Form for declaration to be filed by an individual or a person (not being a company or firm) who does not have a permanent account number and who enters into any transaction specified in rule 114B

1	First Name																				2	Date of Birth / Incorporation of declarant																							
	Middle Name																																												
	Surname																																												
3	Father's Name (in case of individual)	First Name																																											
	Middle Name																																												
	Surname																																												
4	Flat / Room No.																																												
5	Floor No.																																												
6	Name of Premises																																												
7	Block Name / No.																																												
8	Road / Street / Lane																																												
9	Area / Locality																																												
10	Town/City																																												
11	District																																												
12	State																																												
13	Pin Code																																												
14	Telephone Number (with STD Code)																																												
15	Mobile Number																																												
16	Amount of transaction (Rs.)																																												
18	In case of transaction in joint names, number of persons involved in the transaction																																												
17	Date of transaction		D		D		M		M		Y		Y		Y		Y																												
19	Mode of transaction: [ ] Cash, [ ] Cheque, [ ] Card, [ ] Draft / Banker's Cheque, [ ] Online transfer [ ] Other																																												
20	Aadhaar Number issued by UIDAI (if available)																																												
21	If applied for PAN and if it is not yet generated enter date of application and acknowledgement number																																												
22	If PAN not applied, fill estimated total income (including income of spouse, minor child etc. as per section 64 of Income-Tax Act, 1961) for the financial year in which the above transaction is held.																																												
a	Agriculture Income (Rs.)																																												
b	Other than Agriculture Income (Rs.)																																												
23	Details of documents being produced in support of identify in Column 1 (Refer Instruction overleaf)																																												
24	Details of documents being produced in support of address in Column 4 to 13 (Refer Instruction overleaf)																																												

**VERIFICATION**

I, \_\_\_\_\_ do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief. I further declare that I do not have a Permanent Account Number and my/our estimated total income (including income of spouse, minor child etc. as per section 64 of Income-Tax Act, 1961) computed in accordance with the provisions of Income-Tax Act, 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax.

Verified today, the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 20\_\_.

**(Signature of declarant)****NOTE:**

- Before signing the declaration, the declarant should satisfy himself that the information furnished in this form is true, correct and complete in all respects. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to prosecution under Section 277 of the Income Tax Act, 1961 and on conviction be punishable.
  - In a case where tax sought to be evaded exceeds twenty five lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine.
  - In any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to two years and with fine.
- The person accepting the declaration shall not accept the declaration where the amount of income of the nature referred to in item 22b exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, unless PAN is applied for and column 21 is duly filled.

**Instruction :**

(1) Documents which can be produced in support of identity and address (not required if applied for PAN and item 20 is filled) :-

Sr. No.	Nature of Document	Document Code	Proof of Identity	Proof of Address
<b>A</b>	<b>For Individuals and HUF</b>			
1	AADHAR card	01	Yes	Yes
2	Bank/Post Office passbook bearing photograph of the person	02	Yes	Yes
3	Elector's photo identity card	03	Yes	Yes
4	Ration/Public Distribution System card bearing photograph of the person	04	Yes	Yes
5	Driving License	05	Yes	Yes
6	Passport	06	Yes	Yes
7	Pensioner Photo Card	07	Yes	Yes
8	National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) Job Card	08	Yes	Yes
9	Caste or Domicile certificate bearing photo of the person	09	Yes	Yes
10	Certificate of identity/address signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councilor or a Gazetted Officer as per annexure A prescribed in Form 49A	10	Yes	Yes
11	Certificate from employer as per annexure B prescribed in Form 49A	11	Yes	Yes
12	Kisan passbook bearing photo	12	Yes	No
13	Arm's license	13	Yes	No
14	Central Government Health Scheme /Ex-servicemen Contributory Health Scheme card	14	Yes	No
15	Photo identity card issued by the government /Public Sector Undertaking	15	Yes	No
16	Electricity bill (Not more than 3 months old)	16	No	Yes
17	Landline Telephone bill (Not more than 3 months old)	17	No	Yes
18	Water bill (Not more than 3 months old)	18	No	Yes
19	Consumer gas card/book or piped gas bill (Not more than 3 months old)	19	No	Yes
20	Bank Account Statement (Not more than 3 months old)	20	No	Yes
21	Credit Card Statement (Not more than 3 months old)	21	No	Yes
22	Depository Account Statement (Not more than 3 months old)	22	No	Yes
23	Property registration document	23	No	Yes
24	Allotment letter of accommodation from Government	24	No	Yes
25	Passport of spouse bearing name of the person	25	No	Yes
26	Property tax payment receipt (Not more than one year old)	26	No	Yes
<b>B</b>	<b>For Association of Persons (Trusts)</b>			
	Copy of trust deed or copy of certificate of registration issued by Charity Commissioner	27	Yes	Yes
<b>C</b>	<b>For Association of persons (other than Trusts) or Body of Individuals or Local authority or Artificial Juridical Person)</b>			
	Copy of Agreement or copy of certificate of registration issued by Charity Commissioner or Registrar of Cooperative Society or any other Competent Authority or any other document originating from any Central or State Government Department establishing identity and address of such person.	28	Yes	Yes

- (2) In case of a transaction in the name of a Minor, any of the above mentioned documents as proof of Identity and Address of any of parents / guardians of such minor shall be deemed to be the proof of identity and address for the minor declarant, and the declaration should be signed by the parent / guardian.
- (3) For HUF any document in the name of Karta of HUF is required.
- (4) In case the transaction is in the name of more than one person the total number of persons should be mentioned in SL No.18 and the total amount of transaction is to be filled in SL No.16.  
In case the estimated total income in column 22b exceeds the maximum amount not chargeable to tax the person should apply for PAN, fill out item 21 and furnish proof of submission of application.